

भाग - III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव संख्या — FP/UK/ROAD/20179/2016

प्रस्ताव का नाम — जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मल्ली बधाण गांव मोटर मार्ग के थौला से माड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.346 हे० वन भूमि का भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं०—(FP/UK/ROAD/20179/2016)

1. स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। — नहीं।
2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं। — हां
3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। — संस्तुति की जाती है।

तिथि 13 / 12 / 2016
स्थान — मुनिकीरेती।

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम — (सुशांत घटनायक)

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त
मुनिकीरेती (टि०ग०)

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
पत्रांक:- १५२/१२-२, दिनांक, मुनिकीरेती, ११-१२-२०१६

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरानगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मल्ली बधाण गांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ८.३४६ हे० वन भूमि का भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव
सं०-(FP/UK/ROAD/20179/2016)

संदर्भ :-

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग का पत्रांक-1779/12-1 दि० 08.12.2016

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव की हार्ड कापी तीन
प्रतियों में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
वन संरक्षक, 13/12

संख्या :- / , उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके
संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशांत पटनायक)
वन संरक्षक,